न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
77/2021 प्रा.पत्र/2021	25.08.2021	15.12.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री श्याम सुन्दर जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रेमचन्द प्रवीण कुमार घण्टाघर के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक निवासी मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001

2–श्री विष्णु कुमार गोयल पुत्र श्री चौथ मल गोयल प्रोपरायटर मैसर्स टोंक एजेन्सीज बडा कुंआ देवली रोड टोंक जिला टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 23, रोडवेज बस डिपो, आदर्श नगर, गली नं. 1, टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001

3–श्रीमति प्रियंका गुप्ता पत्नि श्री अशोक कुमार गुप्ता पार्टनर मैसर्स नीरज मार्केटिंग प्लॉट नं.5, जैन गार्डन, बदनपुरा, जयपुर निवासी वार्ड नं.73, प्लॉट नं. 5, जैन गार्डन, बदनपुरा, ब्रह्मपुरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। पिनकोड–302001

4–श्री प्रकाश भाई केशवलाल पटेल पुत्र श्री केशवलाल पटेल पार्टनर मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडक्टस एफ–1, पार्थ एग्रो, कमली, उझा, मेहसाना, गुजरात निवासी 182, सन नगर सोसायटी, बिन्दु सरोवर फेज सिद्वपुर/पाटन गुजरात। पिनकोड–384170

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री विष्णु कुमार गोयल एवं अभिभाषक श्री मनोज गुप्ता उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 15.12.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.03.2021 को समय 02:31 पीएम पर मैसर्स प्रेमचन्द प्रवीण कुमार घण्टाघर के पास सुभाष बाजार टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री श्याम सुन्दर जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्याम सुन्दर जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी अमृत ब्राण्ड (Ghee Amrut Brand)** के 500–500 एम.एल. के 18 मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्देशा हुआ तो श्री श्याम सुन्दर जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री श्याम सुन्दर जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी अमृत ब्राण्ड (Ghee Amrut Brand)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी अमृत ब्राण्ड (Ghee Amrut Brand)** 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2840 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2840 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री श्याम सुन्दर जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स टोंक एजेन्सीज बडा कुंआ देवली रोड टोंक जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स टोंक एजेन्सीज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स नीरज मार्केटिंग प्लॉट नं.5, जैन गार्डन, बदनपुरा, जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स नीरज मार्केटिंग को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडक्टस एफ–1, पार्थ एग्रो, कमली, उझा, मेहसाना, गुजरात का खरीद बिल प्रेषित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/1002 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./563/एक्ट/2021/602 दिनांक 08.04.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी अमृत ब्राण्ड (Ghee Amrut Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी श्री विष्णु कुमार गोयल एवं उनके अभिभाषक श्री मनोज गुप्ता उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर एगमार्क सर्टिफिकेशन मार्क अंकित नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी अमृत ब्राण्ड (Ghee Amrut Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी अमृत ब्राण्ड (Ghee Amrut Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0